संख्या– 144 /XV-1/18/1(8)/16

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 27 फरवरी 2018**

विषयः पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5508/नि०–5/एक(4)/एस्कैड/2017–18 दिनांक 31 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता **(ASCAD)** (90 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत भारत सरकार पुनर्वैध की गई धनराशि **₹2000.00 हजार (₹ दो हजार मात्र)** व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य– 01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 144 (1) / XV-1/ 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2.आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कूमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5.समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6.वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7.राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8.बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9.निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10.मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव